कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय प्रशासनिक कार्यालयों में कोविड–19 प्रभावितों की बढ़ती संख्या के दृष्टिगत महामारी प्रसार के रोकथाम उपायों के तहत कुलपति महोदया के निर्देशानुसार अग्रिम आदेशों तक निम्नानुसार व्यवस्थाएं तत्काल प्रभाव से लागू की जाती हैं:–

1. परीक्षा नियंत्रक के नियंत्रणाधीन कार्मिकों के अतिरिक्त ऐसे समस्त प्रशासनिक कार्यालयों, जिनमें प्रति कार्यालय कक्ष तीन से अधिक कार्मिक तैनात हैं, वहाँ पर प्रति कार्य दिवस रोस्टर के आधार पर 50 प्रतिशत कार्मिक उपस्थिति सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।
2. परीक्षा नियंत्रक के नियंत्रणाधीन कार्यालयों में नियंत्रक अधिकारी के दिशा–निर्देशानुरूप कोविड–19 गाइडलाइन्स (सोशल डिस्टेन्सिग/मास्क इत्यादि) का अनुपालन करते हुए कार्मिकों द्वारा आवश्यक कार्यालयी कार्य सम्पादित किए जाएंगे।
3. यदि किसी कार्मिक में खांसी–जुकाम/फ्लू/वायरल आदि संक्रामक लक्षण परिलक्षित हों तो ऐसे कार्मिक संक्रमण को रोकने हेतु अत्यावश्यक रूप से कार्यालय से अवकाश पर रहेंगे व सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा स्थिति की प्रति कार्य दिवस समीक्षा/निरीक्षण किया जाएगा।
4. आवश्यक सेवाओं में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी कोविड–19 का अनुपालन करते हुए (सोशल डिस्टेन्सिग/मास्क इत्यादि) कार्यालय में कार्यलीय कार्य हेतु उपस्थित रहेंगे।
5. शनिवार को कार्यालय कक्षों के सघन सेनेटाईजेशन हेतु कार्यालय बन्द रहेंगे।

उक्त व्यवस्था की समय–समय पर समीक्षा की जाती रहेगी।

05.11.2020

प्रो॰ (एन॰एस॰ पंवार)
कुलसचिव

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल)
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

पत्रांक संख्याः–ग0वि0वि0/प्रशासन (शिक्षणेत्तर)/2020/644 दिनांकः– 06/11/2020

प्रतिलिपि निम्नलिखितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. परीक्षा नियंत्रक/उप कुलसचिव (परीक्षा) को इस आशय से प्रेषित की कार्य आवश्यतानुरूप कोविड़–19 गाईड़लाईन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
2. प्रभारी, स्वच्छता को इन निर्देशों के साथ कि प्रत्येक शनिवार को सम्पूर्ण प्रशासनिक भवन परिसर/कार्यालय में सघन सेनिटाइजेशन कार्यवाही सुनिश्चित करें।
3. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष।
4. समस्त निदेशक (टिहरी/पौड़ी/चौरास)/पुस्तकालयाध्यक्ष।
5. वित्त अधिकारी।
6. संयुक्त कुलसचिव/समस्त उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव।
7. अधिशासी अभियन्ता/समस्त सहायक अभियन्ता/समस्त कोर्डिनेटर।
8. सिस्टम मैनेजर को उक्त सूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. प्रभारी, डाटा प्रोसेसिंग केन्द्र।
10. निजी सचिव, कुलपति, माननीय कुलपति महोदया के सादर सूचनार्थ प्रेषित।
11. नोटिस बोर्ड।
12. कार्यालय प्रति।

06.11.2020

प्रो॰ (एन॰एस॰ पंवार)
कुलसचिव